



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 161429

(प्रारूप—"अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप

हम अरुण कुमार कटियार एवं मिथलेश कटियार कमशः अध्यक्ष एवं सचिव, कानपुर, उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक निम्नवत् घोषणा करते हैं:-

1- यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा छत्रपति शिवाजी कालेज आफ फार्मेसी, साखिन बुजुर्ग, सिकन्दरा, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2- यह कि उक्त संस्था हेतु भूमि छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय, साखिन बुजुर्ग, सिकन्दरा, कानपुर देहात से छत्रपति शिवाजी शिक्षा एवं विकास समिति, वी-810, एम0आई0जी10, विश्व बैंक, बरा, कानपुर, उत्तर प्रदेश के पक्ष में 30 वर्ष के लिए लीज डीड की गयी है, जिसके माटा संख्या-135 एवं 134 रकम कमशः 1.0240 हेक्टेयर एवं 0.0074 हेक्टेयर (कुल रकम 1.0314 हेक्टेयर) भूमि है।

3- यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी याद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4- यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के पक्ष में उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या-135 एवं 134 रकम कमश 1.0240 एवं 0.0074 हेक्टेयर (कुल रकम 1.0314 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 12.04.2022 द्वारा पारित किया गया है।

5— यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी स्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6— यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं नियंत्रित भवन को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7— यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियंत्रण के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8— यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9— यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो हो रहा है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10— यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जा चुका है।

11— यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12— यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभौति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी रामय रथलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्ध समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।



13- हम घोषणा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी एवं पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अग्रिमलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटशरूपत अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विस्तृत परिपद द्वारा नियमानुसार कानून संगव लायवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

卷八

४० संघिव
(संघिव)
(प्रदत्ता उद्धरण)
प्राप्तवाच
(संधिवलय कठियार)
कृष्ण लक्ष्मण
कन्नर

होअच्युत

(वर्तमान कामकाजी)
अच्युत
एजेंट शिवाजी
संस्कृता संस्कृति
(अरुण कल्पना कामकाजी)